been cancelled. Complaints received against the other five Principals are under investigation.

श्री मुनव्वर हसन : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि नजीराबाद के वर्तमान विद्यालय के प्रधानाचार्या के खिलाफ जो शिकायतें मिली हैं उनका ब्यौरा क्या है?

श्री बची सिंह रावत : महोदय, केन्द्रीय विद्यालय, नजीराबाद के प्रधानाचार्या श्रीमती विजय लक्ष्मी नागर के विपरीत जो आरोप थे वह काफी गंभीर नहीं थे। कम्प्यूटर की खरीद के मामले में केवल कुछ प्रक्रिया संबंधी दोष पाए गए, ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, रीजनल आफिस, जयपुर के द्वारा सूचित किया गया है।

श्री मुनव्वर हसन : इसमें भ्रष्टाचार के बहुत मामले हैं जो इस प्रधानाचार्या ने किए हैं। तो क्या इनकी जांच की गई है? उसके ऊपर आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने, जिन शिक्षकों ने आयुक्त महोदय से उनकी शिकायतें की हैं उनके तो तबादले कर दिए गए हैं, उनको तो सजा अवश्य दी गई है लेकिन इस प्रधानाचार्या को अभी तक कोई दंड, कोई सजा नहीं दी गई है। तो इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है?

श्री बची सिंह रावत : सभापति जी, माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन की ओर से कोई ऐसा नहीं होगा जिससे कहीं पर कोई भेदभाव की स्थिति आए या अनावश्यक किसी को दण्डित किया जाए। यह जो पांच प्रधानाचार्य हैं जिनके विरुद्ध जांच चल रही है इनका मामला उसी में है और इनके विपरीत जांच विचाराधीन है और चल रही है।

Career Advancement Scheme of UGC

*468. PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the University Grants Commission has introduced a Career Advancement Scheme for promotion of Lecturers to Readers and of Readers to Professors;

(b) whether the scheme has been implemented by the Universities and Colleges; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI BACHI SINGH RAWAT): (a) to (c) The Career

Advancemnt Scheme (CAS) of UGC provides for the promotion of a Lecturer in the Senior Scale to the post of Reader in Colleges and Universities. The Scheme is also applicable to Readers in the University Departments for promotion to the post of Professor.

Guidelines for implementation of the Scheme have been issued to all the Universities by the UGC.

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Mr. Chairman, Sir, my first supplementary is this. What is the problem with the college teachers? There is a lot of resentment and grievances among college teachers about this discrimination. You have a policy of promoting Readers as Professors in universities, but not in colleges. This is creating confusion and division among the teachers. And, there are a number of representations from the teachers. They are sitting on *dharnas*. They do not like to do that. But they have to do that. You have to give incentives to the teachers. Stop teachers from undertaking private tuitions, but give them incentives and a wider scope for promotion. After all, the Career Advancement Scheme is for advancement of one's career. Whey should you close the door to college teachers? This is the question I would like to know from the hon. Minister. Why should the college teachers be deprived of the opportunity of advancing their careers?

श्री बची सिंह रावत : सभापति महोदय, विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के लिए संशोधित कैरियर प्रोन्नति योजना 27 जुलाई, 1998 से लागू की गई थी और इसमें प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरारों के लिए पद एक अनुपात, चार अनुपात और 12 अनुपात से सृजित करने की व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें प्रोफेसर के चयन की प्रक्रिया वही रखी गई जो विश्वविद्यालय से लागू है। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 6 अक्तूबर 2000 को एक अपने उत्तरवर्ती पत्र के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए कैरियर प्रोन्नति योजना कालेजों पर लागू नहीं होगी। इसके कारण बताये गये कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जब यह योजना लागू की तो 90 प्रतिशत से ज्यादा प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, जो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे संदेश मिले तथा उनसे राय मिली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस कदम के लिए उसकी आलोचना भी की गई कि अनेक ऐसे कालेजों में रीडर से प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नति करने की अनुमति दी गई जिसमें कई कालेज अवर स्नातक के हैं तथा कई अन्य संस्थाएं उच्चतर स्तर की नहीं हैं। इसलिए यह महसूस किया गया कि इससे उच्चतर शिक्षा के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः यह स्पष्ट करने के लिए 6 अक्तूबर, 2000 को अनुवर्ती पत्र जारी किया गया है।

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Who are the educationists who said that the college teachers should not be promoted, and they should not have any career advance? This is what I want to know. Who are these educationists? I am very much interested in knowing the names of educationists who were consulted, and who gave this advice to the UGC or the Ministry of HRD. This is the most unacceptable thing. I am very sorry to say so. You are closing the doors for teachers. You are also creating division within the ranks of teachers. My second supplementary is about your answer to my question, "Whether this scheme has been implemented?" Your answer to this question was, "The guidelines have been sent." I would like to know what has been the response of unversities to these guidelines? have they implemented these guidelines? what is the feedback got by the UGC from the universities and colleges?

श्री बची सिंह रावत: सभापति जी, यह मूल प्रश्न के उत्तर में अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपनी बैठक में पुन: सभी विश्वविद्यालयों को इसे उपलब्ध कराया है और इस संबंध में अभी विश्वविद्यालय स्तर पर प्रगति चल रही है। जहां तक कैरियर पदोन्नति योजना से अवसर नहीं देने की बात है तो इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि जो ऐसे कालेज जो बिना किसी अनुसंधान कार्यकलाप के अवर स्नातक संस्थान हैं, उनके संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उसका समर्थन नहीं किया था और इसीलिए उसका समर्थन नहीं किया गया है।

†**श्री मोहम्मद आज़म खान:** चेयरमैन सर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है लेक्चरार, रीडर और प्रोफेसर अपाइंट करने का। लेकिन शिकायत आई है कि उसकी बिनाह पर आपने तय किया है कि आप प्रोफेसर बनाने में तकल्लुफ करेंगे। क्या आपकी सूचना में ऐसा है, क्योंकि हम भी कालेज में पढ़े हैं और यह देखा है कि उसका लेक्चरार के पद पर अपाइंटमेंट हुआ और उसने पहले ही दिन से अटेस्टेशन की मोहर प्रोफेसर की लगानी शुरू कर दी। हमारे यहां रामपुर के डिग्री कालेज में यही चलन है। क्या एक व्यक्ति जो सिर्फ लेक्चरार है या रीडर है वह प्रोफेसर की मोहर इस्तेमाल करके अटेस्टेशन कर सकता है? या उन्होंने ऐसे नामों की तख्तियां अपने घरों और कालेजों में लगा रही हैं या उनके नाम ऐसे लिखे होते हैं? क्या आप ऐसे प्रोफेसर्स को पकड़ने और सजा देने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करेंगे?...(व्यवधान).. मैं एक पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं पुलिस वाली बात नहीं कर रहा हूं।

श्री बची सिंह रावत: सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ माननीय सांसद श्री आजम खान ने जो सूचना यहां पर दी है, वह काफी गंभीर तथ्य प्रकाश में लाए हैं। में उनसे आग्रह करुंगा कि इस

†Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

संबंध में उनके पास जो भी सामग्री है या जो भी उनसे विवरण प्राप्त होंगे, उनके अनुसार तत्काल इस पर कार्यवाही की जाएगी।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Mr. Chairman, Sir, if you look at the reply, you will find it to be very much pessimistic, so far as the career of lecturers and readers is concerned. It is so said that there is no scope for promotion or there are no vacancies, as such. In Gujarat, there is a scheme that if a person, who is appointed to a lower grade, is not promoted within 9 years or 18 years or 27 years, then he will be entitled to get the salary of the next higher grade. I would like to know whether the University Grants Commission, through the Ministry of Human Resource Development, is thinking to introduce such schemes for these people so that they do not lose monetarily.

श्री बची सिंह रावत: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, इस पर विचार किया जाएगा।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Mr. Chairman, Sir, the career advancement of the teachers, who are teaching in the colleges or universities, depend on their research work as well. But, I am told, in recent times, the University Grants Commission has started interferring with the subjects to be chosen for research. The universities are being asked not to allow some research scholars to take up subjects of their own choice. I would like to know whether this interference is being made as per the programme of "Saffronisation of education'. I would like the hon. Minister to enlighten us whether the University Grants Commission is uniformly implementing this sort of "saffronisation programme' in universities and colleges.

श्री बची सिंह रावत: महोदय, यह जो शिक्षा के भगवाकरण का आरोप माननीय सदस्य ने लगाया है, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी न सरकार की कोई मंशा है, न ही नीति है और न ही कोई निर्णय है। यह बात तथ्यों से परे है।

एक माननीय सदस्य: आप सच सुनने के लिए सवाल पूछा करो।

श्री बालकवि बैरागी: भगवाकरण से आप लोग क्या समझते हैं? ...(व्यवधान)... आप खुद क्या समझते हैं? (व्यवधान)... अगर नीति नहीं है तो भगवाकरण को आप खुद क्या समझते हैं, यह हम जानना चाहते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: हम यह आपसे जानना चाहते हैं? ...(व्यवधान)... हमारे यहां कोई भगवाकरण नहीं हो रहा है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: सभापति महोदय, यह प्रश्न गत सत्र में भी आया था। उस समय डा. मुरली मनोहर जोशी ने बताया था कि हम इसके बारे में सोचने जा रहे हैं लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है मैं कालेजों में इस स्कीम के इंस्पैक्शन के तहत जाया करती हूं। यह जो कैरियर ऐडवांसमेंट स्कीम है, उसमें जिसका कैरियर ऐडवांस देखा जाता है, उसको सीनियर ग्रेड लैक्चरार का ग्रेड दे दिया जाता है। रीडर नाम का कोई पदनाम वहां पर नहीं है। पैसा उसे रीडर के बराबर ही मिलता है, आर्थिक बढ़ोत्तरी रीडर के बराबर होती है लेकिन यह पदनाम उसे नहीं दिया जाता अभी हमारे सांसद ने बताया कि लोग तब भी उसे पदनाम का व्यवहार करते हैं। अगर यू.जी.सी. से यह पदनाम दे दिया जाए, पैसा तो दे ही रहे हैं, रीडर और रीडर के बाद प्रोफेसर तो लोगों को कैरियर ऐडवांसमेंट में सुविधा होगी और वे सचमुच अपना कैरियर ऐडवांस करने के लिए कुछ करेंगे। क्या इस संबंध में आप कुछ विचार करे रहे हैं?

श्री बची सिंह रावत: महोदय, जैसा अभी बताया गया कि पिछले सत्र में भी डॉक्टर जोशी ने आश्वस्त किया है कि इस बारे में विचार होगा। वेतन के समकक्ष यदि उनका पदनाम है और वह पदनाम यदि दिया जा सकता है तो उस संबंध में सरकार गंभीरता से विचार कर सकती है।

श्री टी.एन. चतुर्वेदी: दिया ही नहीं जा सकता बल्कि पहले आपने दिया था।...(व्यवधान) नयी स्कीम से बदल दिया है।...(व्यवधान)...

श्रीमती कुमकुम राय: महोदय, इस कैरियर ऐडवांसमेंट स्कीम के संबंध में मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या मेरिट प्रमोशन के साथ टाइम बाउंड प्रमोशन, इन दोनों को सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया गया है या यह राज्य की इच्छा पर ही छोड़ दिया गया है कि वह मैरिट प्रमोशन ही लागू करे या टाइम बाउंड प्रमोशन लागू करे अथवा न करे?

श्री बची सिंह रावत: जो गाइडलाइंस जारी की गयी हैं, उनमें पूरे देश के लिए समान रूप से गाइडलाइंस जारी की गयी है।

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Illegal import of genetically engineered foods

*461. SHRI C.O. POULOSE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the situation arising out of entering of Genetically Engineered (GE) foods illegally into the country, if so, what